

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

मैसर्स राजा ग्लास हाऊस,
मेवाड़ा मोटर्स, उदयपुर ।

.....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
डूंगरपुर ।

....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल – सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दोसाया,
अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.03.2014

निर्णय

उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 20/2010/उदयपुर, में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी व्यवहारी ने कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 को परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिल-बिल्टी संग्रहण केन्द्र, रतनपुर जिला डूंगरपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा गया है) द्वारा दिनांक 26.3.2001 को वाहन संख्या जी.जे. 9 वी/2197 को अहमदाबाद से उदयपुर आते हुए बिल-बिल्टी संग्रहण केन्द्र, रतनपुर पर चैक किये जाने पर वाहन में लैम्प्स आदि (Electrical appliances) परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित न्यू शक्ति रोडलाईन्स अहमदाबाद की जी.आर. नम्बर 3260 दिनांक 26.3.2001, मैसर्स विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एप्लायंसेज अहमदाबाद की एन्वायस संख्या 1152 व 1153 दिनांक 26.3.2001 प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल बिजली का सामान होने से अधिसूचित श्रेणी का माल होने के कारण इसके राज्य में आयात कर परिवहन के दौरान माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाये जाने पर प्रार्थी व्यवहारी के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(2) का उल्लंघन करना मानते हुए प्रार्थी व्यवहारी को जरिये वाहन चालक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 28.3.2001 को प्रस्तुत जवाब में उक्त प्रपत्र वाहन चालक की गलती से वहीं रह जाना जाहिर करते हुए माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 52517/3 पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के उक्त जवाब एवं प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए को बाद की सोच मानते हुए अस्वीकार किया जाकर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति ₹1,24,806/-

लगातार.....2

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

आरोपित करने का आदेश दिनांक 28.3.2001 पारित किया गया।

प्रार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 06.01.2004 से स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 817/2004/उदयपुर, कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 18.2.2005 द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप राजस्व द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व की उक्त रिवीजन स्वीकार की जाकर प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण को रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ बिल/बिल्टी उपलब्ध होने एवं घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिये जाने से प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी. मैटल्स से संचालित होना मानते हुए पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2009 से सशक्त अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आरोपण का आदेश दिनांक 28.03.2001 अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील क्रमांक 20/2010/उदयपुर पर दर्ज की गयी एवम् कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 07.06.2011 के प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित (restore) किया गया। कर बोर्ड के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी व्यवहारी द्वारा परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी है। इसी क्रम में प्रार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर, सशक्त अधिकारी द्वारा कायम की गयी अधिनियम की धारा 75 के तहत कायम की गयी मांग राशि ₹2,36,536/-की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति ₹1,24,806/- पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित अनुवर्ती ब्याज ₹1,11,730/- कुल ₹2,36,536/- के संबंध में कथन किया कि उक्त कायम मांग राशि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है प्रार्थी के विरुद्ध ब्याज का

लगातार.....3

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

आरोपण दिनांक 02.04.2004 से होना मानकर आरोपित किया गया है जबकि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 तक मूल शास्ति आदेश दिनांक 28.03.2011 के जरिये आरोपित शास्ति ₹1,24,806/- माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये विभिन्न आदेशों के प्रकाश में अस्तित्व में ही नहीं थी। अतः उक्त अवधि के लिये आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन प्रार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने का कथन कर, कुल मांग राशि ₹2,36,536/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

गुणावगुण पर कथन किया कि बहस के दौरान वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित वैध बिल व बिल्टी सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा इसमें व्यवहारी का करापवंचन का कोई मनोभाव नहीं था। अतः वक्त चैकिंग घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए माल के साथ नहीं होने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में उनके द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। इसलिए उपायुक्त (अपील्स) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मेटल्स के प्रकरण में पारित निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अविधिक रूप से शास्ति आरोपित करने के आदेश को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित है। जिसे अपास्त कर, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 190/2012 मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम स.वा.क.अ., भिवाड़ी निर्णय दिनांक 07.01.2013 व एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 3/2011 मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशगनगढ़ बनाम स.वा.क.अ., उड़नदस्ता, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 27.04.2013 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि वक्त जांच घोषणा प्रपत्र नहीं पाया जाता है एवम् जारी नोटिस की पालना में यदि घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मेटल्स के प्रकरण में पारित निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में शास्ति आरोपणीय नहीं है। अपने उक्त तर्कों व प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 में अभिलेख की त्रुटि होना प्रकट कर, पारित आदेश को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये रोक आवेदन पत्र पर आपित्त उठाते हुये कथन किया कि यदि प्रार्थी

लगातार.....4

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

व्यवहारी को सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील/रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था । कथन किया कि अधिनियम के प्रावधान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी प्रकार के आदेशों के विरुद्ध सीधे ही कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबंधित करते हैं । इस संबंध में अधिनियम की धारा 85 के मूल पठन की ओर ध्यानाकर्षित किया गया:—

Appeal to the Tax Board. – (1) An appeal shall lie to the Tax Board against –

"(a) an order of the State Level Screening Committee or the District Level Screening Committee passed under the Incentive Schemes or Deferment Schemes notified under section 15 or under sub-section (3) of section 25 of the Act."

"(b) an order passed by the Commissioner with regard to determination of a disputed question under section 40 or in any proceeding in exercise of his revisional powers under section 87;

(bb) An order passed by the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration under section (2) of section 30; and ;

(c) an order passed by an" appellate authority.

अतः कथन किया कि अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानानुसार प्रस्तुत किया गया रोक आवेदन पत्र विधिक प्रक्रियानुसार सीधे ही कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अतः उक्त को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की थी क्योंकि अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप 18 ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 पूर्णतः विधिसम्मत होने का कथन कर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति का निर्णय किया जा रहा है ।

प्रार्थी व्यवहारी द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में परिशोधन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया । इस संबंध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति पूर्णतः विधिक प्रतीत होती है क्योंकि यदि प्रार्थी व्यवहारी को सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित अनुवर्ती ब्याज की मांग

लगातार.....5

परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

राशि के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील/रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। इस संबंध में अधिनियम की धारा 85(1) का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा जिसका मूल पठन इस प्रकार है:—

अधिनियम की धारा 85(1).—Appeal to the Tax Board. – (1) An appeal shall lie to the Tax Board against –

"(a) an order of the State Level Screening Committee or the District Level Screening Committee passed under the Incentive Schemes or Deferment Schemes notified under section 15 or under sub-section (3) of section 25 of the Act."

"(b) an order passed by the Commissioner with regard to determination of a disputed question under section 40 or in any proceeding in exercise of his revisional powers under section 87;

(bb) An order passed by the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration under section (2) of section 30; and ;

(c) an order passed by an" appellate authority.

अतः अधिनियम के उपर्युक्तानुसार प्रावधानानुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी प्रकार के आदेशों के विरुद्ध सीधे ही कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये प्रतिबंधित करते हैं। अतः अधिनियम की धारा 85(1) के प्रावधानों के आलोक में, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति स्वीकार कर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा रोक आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

जहां तक गुणागुण का प्रश्न है, इस संबंध में रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जांच के वक्त पायी गयी वहनीय वस्तु अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल होने के बावजूद, उनके साथ घोषणा प्ररूप 18 ए वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न नहीं पाया गया था, न ही माल प्रभारी द्वारा इसे "भूलवश" प्रस्तुत नहीं करना वक्त जांच प्रकट किया था तथा पश्चात्वर्ती कार्यवाही के तहत घोषणा प्ररूप एस.टी.18 ए जो प्रस्तुत किया गया है उसे माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार अधिनियम की धारा 78(2)(ए) की पालना नहीं माना जा सकता क्योंकि माननीय शीर्ष न्यायालय ने निर्णय आशियाना इस्पात लि0 (2010) 01 आर.जी.एस.टी.आर.—डी—014 (एस.सी.)के प्रकरण में भी जांच के समय वैद्य घोषणा प्ररूप नहीं होने को मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णयानुसार विधिक पालना नहीं होना अवधारित किया है। अतः कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा यह विधिक रूप से अवधारित किया गया है कि माल संबंधी दस्तावेजों में वैद्य घोषणा प्ररूप एस.टी 18 ए माल परिवहन के दौरान होना अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के प्रावधानों के तहत बाध्यकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में इस संबंध में कर चोरी के आशय को प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं माना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर


परिशोधन प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2014/उदयपुर

बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा संचेतन मस्तिष्क संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया था, जो विधिसम्मत है एवम् इस संबंध में कोई अभिलेख की प्रकट भूल नहीं हुयी है, न ही उक्त निर्णय को पारित करते समय विधि के किन्हीं प्रावधानों पर विचार करने से रहा है। अतः इस संबंध में अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के आलोक में, पूर्व में संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित निर्णय का पुनर्विलोकन (review) करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत स.वा.क. अ. बनाम् मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित विधि को हस्तगत प्रकरण में लागू किया जाना न्यायसम्मत है। उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37/33 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि धारा 37/33 की परिधि (Scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। अतः कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 के संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, जिसे परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के प्रकाश में, परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

परिणामतः, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य